संख्या-एस0ई0-2474/दस-2003-बीमा-19/2002

प्रेषक,

श्री आनन्द मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन, ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

वित्त॥सेवायें॥अनुभाग-। लखनऊ: दिनांक::31 जुलाई, 2003

विषय:- "उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना" के अंतर्गत मासिक अभिदान एवं आच्छादन के निमित्त वेतनमानों का वर्गीकरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश सं0-बीमा-959/दस-93-189॥ए॥/89, दिनांक 25 जून, 1993 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वित्त॥पद माप दण्ड निर्धारण॥अनुभाग के शासनादेश संख्या:प0मा0नि0-356/दस-22 ॥एम॥/97, दिनांक 23.12.1997 द्वारा दिनांक 01.01.1996 से पुनरीक्षित वेतनमानों को स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 25.06.1993 द्वारा पुराने वेतनमानों के आधार पर किये गये उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अंतर्गत मासिक अभिदान व आच्छादन के वर्गीकरण से उत्पन्न होने वाली विसंगतियों के निराकरण हेतु श्री राज्यपाल महोदय दिनांक 01.01.1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों के आधार पर उक्त योजना में निम्न तालिका के अनुसार मासिक अभिदान की कटौती तथा बीमा आच्छादन प्रदान किये जाने के आदेश प्रदान करते है ।:--

क्रमांक	वेतनमान	मासिक अभिदान की दर	बीमा निधि	बचत निधि	बीमा आच्छादन की धनराशि
1	2	3	4	5	6
1-	वेतनमान का अधिकतम रू 13501 या इससे अधिक	120	36	84	1,20,000
2-	वेतनमान का अधिकतम रू0 7000 से 13,500 तक	60	18	42	60,000
3-	वेतनमान का अधिकतम रू0 6999 तक	30	9	21	30,000

-----2

2- मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त तालिका में अंकित पुनरीक्षित वेतनमानों के अनुरूप मासिक अभिदान की दरें एवं बीमा आच्छादन को निम्नलिखित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन लागू किया जायेगा:--

(क) उक्त आदेश दिनांक 01.09.2003 से प्रभावी माने जायेंगे।

(ख) जिन कर्मचारियों के पद का वेतनमान दिनांक 01.01.1996 के पूर्व रू0 1350-30-1440-40-1900-द0रो0-50-2200 था तथा दिनांक 01.01.1996 से पुनरीक्षित वेतनमान रू0 4500-125-7000 हो गया है, के वेतन से दिनांक 31 अगस्त, 2003 तक मासिक अभिदान रू0 30/- की दर से लिया जायेगा तथा बीमा आच्छादन की धनराशि रू0 30,000/- होगी, किन्तु उक्त तिथि के पश्चात अर्थात दिनांक 01.09.2003 से उक्त वेतनमान हेतु मासिक अभिदान की दर रू0 60/- तथा बीमा आच्छादन की धनराशि रू0 60,000/- होगी।

(ग) पूर्व में निस्तारित किसी प्रकरण को इस शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में पुर्नजीवित नहीं किया जायेगा।

(घ) वेतनमानों का उक्त वर्गीकरण मात्र सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत कटौती की जाने वाली धनराशि तथा उसके विरूद्ध देय आच्छादन तक ही सीमित है तथा इसका सेवा समूहों के वर्गीकरण से कोई संबंध नहीं है।

(च) उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के संबंध में निर्गत समस्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

भवदीय,
हस्ताक्षर

आनन्द मिश्र
सचिव।

संख्या:एस0ई0-2474(1)/दस-2003, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

1. श्री राज्यपाल सचिवालय।
2. विधानसभा/विधान परिषद सचिवालय।
3. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
4. निदेशक, कोषागार व लेखा, उ0प्र0, लखनऊ।
5. निदेशक,उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय लखनऊ को उनके पत्र संख्या/सा0बीमा-लेखा संकलन अनु0-1/निर्देशन-70/110/2002, दिनांक 04-05-2002 के संदर्भ में।
6. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
7. प्रधान महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
8. समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0/इरला चेक/भुगतान व लेखाधिकारी, नई दिल्ली।

आज्ञा से,
हस्ताक्षर
एम0एस0ए0 सिद्दीकी
अनुसचिव।

भावना/4.8.03